

राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर

क्रमांक प.4(1)RJ/RERA/2017 / 51-41

जयपुर, दिनांक :- 05 SEP 2017

आदेश

रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) एक्ट, 2016 की धारा 3 के तहत ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण उक्त अधिनियम लागू होने की दिनांक से 3 माह की अवधि में किया जाना अनिवार्य था। यह निर्धारित अवधि दिनांक 31.07.2017 को समाप्त हो चुकी थी। प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2017 के द्वारा उक्त अवधि दिनांक 31.08.2017 तक मय पैनल्टी के बढ़ायी गयी थी। दिनांक 31.08.2017 के पश्चात् ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार शास्ति निर्धारित की जाती है :-

1. दिनांक 31.08.2017 के पश्चात् 30.09.2017 तक आवेदन करने पर पंजीकरण शुल्क एवं प्रोजेक्ट लागत का 2 प्रतिशत अथवा पंजीकरण शुल्क की दस गुणा राशि जो भी अधिक हो शास्ति के रूप में ली जावे।
2. दिनांक 30.09.2017 के पश्चात् आवेदन करने पर पंजीकरण शुल्क एवं प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत शास्ति ली जाकर पंजीकरण किया जावे।




(प्रदीप कपूर)

रजिस्ट्रार,

राजस्थान रियल एस्टेट  
रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रेरा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. रजिस्ट्रार RERA, नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।



रजिस्ट्रार,

राजस्थान रियल एस्टेट  
रेग्युलेटरी ऑथोरिटी